sentative on the Senate, was received by the Kerala Education Department.

(b) Representation is given to Municipalities and Trivandrum Corporation but not to Calicut Corporation because the latter was not in existence when the Kerala University Act was passed.

(c) The question of bringing in substantial changes in the Kerala University Act is under consideration. The request of the Calicut Corporation for representation on the Senate will be considered when the Draft Bill to amend the Kerala University Act is finalised.

Release of D.I.R. Prisoners on Parole

220. Shri Mohammed Koya: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of prisoners detained under the Defence of India Rules who were released on parole till 1st August, 1965;

(b) if so, the reasons for their release; and

(c) the number of persons refused permission and the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दण्डकारण्य में विस्थापित व्यक्तियों का बसाया जाना

221. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य में अब तक कितने विस्थापित व्यक्तियों को बसाया गया है ;

(ख) ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की संख्या क्या है जो अब तक कलकत्ता वापस आ गये हैं ; और

(ग) उसके क्या कारण है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) 10 जुलाई, 1965 तक 9,864 परिवार दण्डकारण्य में बसाये गये हैं ।

(ख) 844 परिवार अपने ग्राम स्थानों को छोड़कर चले गये हैं । इन परिवारों में से, यदि कोई कलकत्ता वापस चले गये हों और कितने गये है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) जो परिवार कलकत्ता वापस चले गये होंगे उनसे संपर्क के अभाव में उनके वापस लौटने के कारण बताना संभव नहीं है । इस बारे में श्रीमती रेणुका बड़कटकी के तारांकित प्रश्न संख्या 1070, दिनांक 28-4-65 के उत्तर के सम्बन्ध में जो विवरण सभा की मेज पर रखा गया था, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा गांवों को छोड़कर जाने वाले कुछ परिवारों के कारणों का सामान्य मूल्यांकन किया गया है ।

काश्मीर के सिनमा-घरों में राष्ट्रगान

222. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर में सिनेमा समाप्त होने पर राष्ट्रगान की धुन नहीं बजाई जाती ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?